

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 24, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2023

क्र. एफ. 05-4-2022-एक-(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के सेवानिवृत्ति दिनांक 20 सितम्बर 2023 को शेष बचे अवकाश के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश एवं अर्द्ध वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023 तक, तीन दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2023

क्र. एफ. 5-12-2022-एक-(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री शील नागू, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर का

अवकाश अवधि संबंधित प्रस्ताव पत्र क्र. ओएडी-कम-पी.पी.एस. क्रमांक-ए-6380-दो-1-6-13-2023, दिनांक 17 अक्टूबर 2023 उच्च न्यायालय, जबलपुर के अनुक्रम में दिनांक 22 से 25 सितम्बर 2023 तक, चार दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. एफ. 05-13-2022-एक-(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री अनिल वर्मा, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर के अवकाश अवधि संबंधित प्रस्ताव पत्र क्र. ओएडी-कम-पी.पी.एस. क्रमांक-डी-4500-दो-एक-12-2022, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 उच्च न्यायालय, जबलपुर के अनुक्रम में दिनांक 19 से 25 अक्टूबर 2023 तक, सात दिवस का पूर्ण अवकाश (वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव.

8785

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 1 (ए) 58-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रेल्वे, मध्यप्रदेश भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 28 नवम्बर से 22 दिसम्बर 2023 तक, 25 दिवस अर्जित अवकाश एवं 25-27 नवम्बर व 23-24 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर के स्थान पर भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत उत्तर-पूर्व (असम) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार — स्वयं
2. श्रीमती मंजू सिकरवार — पत्नी

(2) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस सुधार), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, रेल्वे (म. प्र.) भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 1 (ए) 93-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-25 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत विजयवाड़ा (आन्ध्रप्रदेश) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, — स्वयं
2. श्रीमती ज्योति मंतेना — पत्नी

3. डाटला प्रणव वर्मा — पुत्र

(2) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती कृष्णावेणी देशावतु, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र.-एफ-1-120-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पी.टी.सी., इन्दौर को दिनांक 5 से 26 दिसम्बर 2023 तक, बाईस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित थाईलैण्ड एवं बाली की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती सुनीता रावत, अति. पुलिस अधीक्षक, पी.टी.सी., इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, पी.टी.सी., इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ1 (ए) 198-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 18 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर यात्रा अन्तर्गत अकेले दीमापुर (नागालैंड) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री संजय पाण्डेय, उप महानिरीक्षक, जेल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जेल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2023

क्र. एफ-1 (ए) 127-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री तरूण नायक, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु. मु., भोपाल को दिनांक 30 अक्टूबर से 13 नवम्बर 2023 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

(2) श्री तरूण नायक, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री सुनील कुमार पाण्डेय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण नायक, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री तरूण नायक, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री तरूण नायक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण नायक, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ1 (ए) 20-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, निदेशक/उमनि. एफ.एस.एल., पु.मु.,

भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 10-11 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत पांडिचेरी जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के साथ निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| 1. श्री शशिकांत शुक्ला, | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती मोनिका शुक्ला | — | पत्नी |
| 3. कु. देवांशी शुक्ला | — | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न निदेशक/उमनि. एफ.एस.एल., पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र.-एफ-1714111--2023-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री योगेश देशमुख, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सायबर सेल, पु. मु., भोपाल को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23-25 व 30-31 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ उक्त अवधि में दुबई (UAE) की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सर्वकता), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, सायबर सेल, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश देशमुख, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

संशोधन आदेश

फा. क्र. 5665-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर जारी किए गए आदेश क्रमांक 5453-2023-इक्कीस-ब (एक), भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2023 में अंकित पंक्ति क्रमांक 7 में अंकित "वे उक्त कार्य के अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, अलि राजपुर में प्रत्येक माह में 2 दिवसों के लिए श्रृंखला न्यायालय का आयोजन भी करेंगे." को विलोपित करता है।

उमेश पाण्डव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2023

फा. क्र. 5681-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री अजय कांत पाण्डेय, छठवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दमोह.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट (रिक्त पद)
2	श्री रामजी गुप्ता, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुरैना.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम श्री राकेश कुमार (गुप्ता) के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

पंजी. क्र. 4619-2023-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, धार में विभागीय आदेश दिनांक 3 अक्टूबर 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री इन्दरलाल सक्सेना का एवं विभागीय आदेश दिनांक 11 मई 2006 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सुरेश कुमार यादव का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 4620-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील-मैहर, जिला सतना में विभागीय आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री श्रीकृष्ण गुप्ता का निधन होने के कारण उक्त नोटरी अधिवक्ता का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 1-1-0001-2023-सात-5.—आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) सहपठित आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम 2020 के अनुसरण में भारत सरकार (इलेक्ट्रॉनिकली और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) अपने कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 13(2)-2021-EG-II, दिनांक 12 मई 2023 द्वारा सक्षम प्राधिकारी के प्राप्त अनुमोदन के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग को उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन, स्वैच्छिक आधार पर भू-अभिलेखों, संबंधित न्यायालयों की कार्यवाहियों एवं अभिलेखों तथा संबंधित बकाया के भुगतान

के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण कर, नागरिकों की पहचान के सत्यापन हेतु, हाँ या ना अथवा / और ई-केवाईसी के प्रमाणीकरण की सुविधा, उक्त नियम 5 के अधीन अधिसूचित करने हेतु अवगत कराया गया है।

अतएव राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन, अधिसूचित करती है कि आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश के विभागीय "भू-लेख पोर्टल" पर स्वैच्छिक आधार पर भू-अभिलेखों, संबंधित न्यायालयों की कार्यवाहियों एवं अभिलेखों तथा संबंधित बकाया के भुगतान के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उक्त विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पर, नागरिकों की पहचान के प्रमाणीकरण के लिए हाँ या ना अथवा / और ई-केवाईसी के प्रमाणीकरण की सुविधा हेतु आधार से प्रमाणीकरण की मांग की जा सकती है।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 1-1-0001-2023-सात-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1-0001-2023-सात-5, दिनांक 1 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

Bhopal, the 1st December, 2023

No. F 1-1-0001-2023-VII-5.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with the Aadhar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Government of India (Ministry of Electronics and Information Technology) vide its office memo No. 13(2)-2021-EG-II dated 12th May, 2023, has, with the approval of the Competent Authority, conveyed authorization by the Central Government for the Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, to notify under rule 5 of the said Rules, regarding performance of Aadhar authentication, on a voluntary basis for verification of identity of residents, using Yes / No or / and e-KYC authentication facility on the Department's online portal for provision of various services related to land records, associated court proceedings and records, and payment of related dues.

Now, therefore, the State Government, hereby notifies that the, Department's 'Bhu-Lekh Portal' of Commissioner Land Records, Madhya Pradesh can seek, Aadhar authentication on voluntary basis for the purpose of identification as per rule 5 of the said Rules, for verification of identity of Citizens, using Yes / No or / and e-KYC authentication facility on the said portal for provisions of various services related to land records, associated court proceedings and records, and payment of related dues.

This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DINESH KUMAR MAURYA, Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023

प्र. क्र. 251-भू-अर्जन-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण.
छतरपुर	राजनगर	राजपुर (पूरक)	1.27875		

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 252-भू-अर्जन-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण.
छतरपुर	राजनगर	पहाड़ीबावन (पूरक)	0.750		

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 253-भू-अर्जन-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण.
छतरपुर	राजनगर	पीरा (पूरक)	0.265		

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 254-भू-अर्जन-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण.
छतरपुर	राजनगर	सर्पौहा (पूरक)	0.32875		

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 255-भू-अर्जन-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	टिकुरी (पूरक)	1.74625	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

धार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्र.-13852-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रायोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धरमपुरी
(ग) ग्राम—कोठिदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.9395 हेक्टेयर.

खसरा / कक्ष / प्लॉट क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
120/3	0.2968
120/4	0.2667
वन कक्ष क्रमांक 503/172200797001	0.440
वन कक्ष क्रमांक 503/172213957001	0.542

(1)	(2)
वन कक्ष क्रमांक 503/172213959001	0.214
वन कक्ष क्रमांक 503/172217374002	0.416
वन कक्ष क्रमांक 503/172208980001	0.254
वन कक्ष क्रमांक 504/172227208002	0.510
योग	2.9395

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर—खलघाट रोड के प्रस्तावित ब्राकानेर घाट सेक्शन के पुर्ननिर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मनावर-धरमपुरी तथा परियोजना निदेशक, परियोजना इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 15 सम्पत हिल्स सहारा सिटी के सामने, इन्दौर बायपास बिचौली मर्दाना, इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 5 दिसम्बर 2023

क्र.-13855-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रायोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची		(ग) ग्राम—पलासमाल	(घ) अर्जित रकबा—6.325 हेक्टेयर.
(1) भूमि का वर्णन—	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
(क) जिला—धार		(1)	(2)
(ख) तहसील—धरमपुरी		4/1	0.867
(ग) ग्राम—भैसाखो खुर्द		6	0.330
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.1169 हेक्टेयर.		7/2/1	0.215
खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	7/2/2	0.229
(1)	(2)	7/2/3	0.229
29	0.0958	7/3	0.005
31/2	0.0211	7/4	0.070
योग . .	0.1169	48	0.180
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के अन्तर्गत इन्दौर—खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्शन के पुर्ननिर्माण हेतु.		75/3	0.204
		75/4	0.275
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मनावर-धरमपुरी तथा परियोजना निदेशक, परियोजना इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 15 सम्पत हिल्स सहारा सिटी के सामने, इन्दौर बायपास बिचौली मर्दाना, इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		वन कक्ष क्रमांक 497	1.293
		172215438001	0.423
		वन कक्ष क्रमांक 497	0.678
		172207835001	0.448
		वन कक्ष क्रमांक 497	0.879
		172215437001	
		वन कक्ष क्रमांक 502	
		172219270001	
		वन कक्ष क्रमांक 502	
		172215426001	
		योग . .	6.325

धार, दिनांक 6 दिसम्बर 2023

क्र.-13953-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रायोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—पीथमपुर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के अन्तर्गत इन्दौर—खलघाट रोड के प्रस्तावित घाट सेक्शन के निर्माण बाबद्.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पीथमपुर तथा परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 15 सम्पत सहारा सिटी के सामने, इन्दौर के बायपास बिचौली मर्दाना, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-13955-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रायोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—पीथमपुर
(ग) ग्राम—ढाल
(घ) अर्जित रकबा—2.667 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
46/2	0.001
47/1/2	0.0215
63/2/1	0.507

(1)	(2)
47/1/3	0.840
63/2/2	0.029
58	0.304
60/1	0.017
61	0.376
64	0.239
65	0.139
योग . .	<u>2.667</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के अन्तर्गत इन्दौर—खलघाट रोड के प्रस्तावित घाट सेक्शन के निर्माण बाबद्.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पीथमपुर तथा परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 15 सम्मत सहारा सिटी के सामने, इन्दौर के बायपास बिचौली मर्दाना रोड, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2023

AGR-XIV-1-0001-2023-PLANPROT-FWAD (Com. No. 254759).—कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा-37 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी 3-1-04-14-2, दिनांक 25 फरवरी 2004 में कीटनाशी (म. प्र. अपील) नियम 1976 में निम्न संशोधन करता है अर्थात् उक्त नियमों के नियम 3 खण्ड (बी) में शब्द आंचलिक प्रबंधक कृषि जलवायु क्षेत्र परियोजना के स्थान पर “संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास” स्थापित किया जाता है.

AGR-XIV-1-0001-2023-PLANPROT-FWAD (Com. No. 254759).—In exercise of the powers conferred under section 37 (2) of the Insecticide Act, 1968 State Government, hereby amend in previous Notification No. B 3-1-04-XIV-2 Date 25th February, 2004. Divisional Joint Director Farmer Welfare and Agriculture Development has been substituted in place of Zonal Manager Agroclimate Zone Project for their respective Division under Rule 3 Clause (b) of Insecticide (M. P. Appeal) Rule 1976.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण भटनागर, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-04-अ-82-2022-23

राजगढ़, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील सुठालिया जिला राजगढ़ के ग्राम-गुजरखेड़ीकलां के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि/आबादी जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 79, 100, 144, 170, 134/1, 135/1, 142/2, 141/2, 165/1, एवं 165/7 पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

तहसील :- सुठालिया

जिला :- राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान :- ग्राम-गुजरखेड़ीकलां

स.क्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5
1	135/1	शिवचरण पिता अमृतलाल जाति गुर्जर	1	598.73 ✓
2	134/1	अर्जुनसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर	2	487.68 ✓
3	134/1	फूलसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर	3	426.61 ✓
4	134/1	भागचन्द पिता देवाजी जाति गुर्जर	4	220.83 ✓
5	135/1	धनराज पिता अमृतलाल जाति गुर्जर	5	862.52 ✓
6	135/1	लक्ष्मणसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर	6	534.61 ✓
7	135/1 ✓	श्याम पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर	7	225.12 ✓
8	100	हिम्मतसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	8	233.03 ✓
9	100 ✓	लाखनसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	9	195.38 ✓
10	144, 141/2	राधेश्याम पिता बलराम जाति गुर्जर	10(A) ✓	235.49 ✓
11	144, 141/2	सत्यनारायण पिता बलराम जाति गुर्जर	10(B) ✓	235.49 ✓
12	134/1	रामेश्वर पिता बलराम जाति गुर्जर	11	477.19 ✓
13	142/2	देवसिंह पिता नन्दराम जाति गुर्जर	12	79.04 ✓
14	142/2	नारायणसिंह पिता नन्दराम जाति गुर्जर	13	86.58 ✓
15	134/1	नन्दराम पिता आशाराम जाति गुर्जर	14	162.68 ✓
16	134/1	सोदानसिंह पिता आशाराम जाति गुर्जर	15	348.38 ✓

स.क.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
17	165/7	लक्ष्मीनारायण पिता आशाराम जाति गुर्जर	16(A)	117.73 ✓
18	165/7	शिवराज पिता लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर	16(B)	64.41 ✓
19	165/7	घनश्याम पिता लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर	16(C) ✓	64.38 ✓
20	170	हिम्मतसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	17 ✓	335.97 ✓
21	170	लाखनसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	18 ✓	123.67 ✓
22	142/2	चन्द्रकलाबाई पति रामसिंह जाति गुर्जर	19 ✓	114.68 ✓
23	144	मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	20 ✓	360.47 ✓
24	144	जगन्नाथ पिता बंशीलाल जाति गुर्जर	21	232.23
25	142/2	दयालसिंह पिता गंगाधर जाति गुर्जर	22	317.15 ✓
26	142/2	रामरतन पिता गंगाधर जाति गुर्जर	23	11.73
27	135/1	मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति भील	24	172.53 ✓
28	100	नारायणसिंह पिता भवरलाल जाति गुर्जर	25	400.60 ✓
29	100	भारतसिंह पिता भवरलाल जाति गुर्जर	26	450.66 ✓
30	165/1	विष्णु पिता गजराजसिंह जाति गुर्जर	27	96.96 ✓
31	135/1	ओमप्रकाश पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर	28	52.08 ✓
32	135/1	गिरराज पिता ओमप्रकाश जाति गुर्जर	29	194.74 ✓
33	135/1	हरिशंकर पिता ओमप्रकाश जाति गुर्जर	30	217.23
34	79	गजराजसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर	31	277.91
योग :-				9014.49
			या.(हे.मै)	0.901

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-05-अ-82-2022-23

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील सुठालिया जिला राजगढ़ के ग्राम-निवारा के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि/आबादी जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 114/221, 184/1, 183/2, 183/3, 274/1/1/1, 267, 272, 199, 189, 266, 461/1, 461/2, 461/3, 462, 463, 464/2, 458, 274/1 एवं 445/2 पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

तहसील :- सुठालिया

जिला :- राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान :- ग्राम-निवारा

स.क्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5
1	461/2	माधोसिंह पिता भागचन्द जाति लोधी	1	212.85
2	461/3	गोपालसिंह पिता भागचन्द जाति लोधी	2	356.58
3	461/1	नीरजसिंह पिता राजाराम जाति लोधी	3(A)	81.60
4	461/1	धनराजसिंह पिता राजाराम जाति लोधी	3(B)	143.42
5	461/1	जशमनसिंह पिता राजाराम जाति लोधी	3(C)	147.96
6	461/1	पदमसिंह पिता राजाराम जाति लोधी	3(D)	265.49
7	462	कंवरलाल पिता चतरूलाल जाति लोधी	4	660.02
8	462	हरिप्रसाद पिता चतरूलाल जाति लोधी	5	409.06
9	184/1, 274/1/1/1	कंवरलाल पिता ईशरलाल जाति लोधी	6(A)	668.83
10	183/2, 274/1/1/1	बनेसिंह पिता ईशरलाल जाति लोधी	6(B)	504.01
11	183/3, 274/1/1/1	पदमसिंह पिता ईशरलाल जाति लोधी	6(C)	287.08
12	463	दरियावसिंह पिता हीरालाल जाति लोधी	7	321.00
13	464/2	रामबाबू पिता नोरंगीलाल जाति लोधी	8(A)	40.56
14	464/2	पूनमसिंह पिता नोरंगीलाल जाति लोधी	8(B)	40.56
15	267	रामस्वरूप पिता गिरधारीलाल जाति लोधी	9	322.96
16	267	नरभेसिंह पिता शंकरलाल जाति लोधी	10	88.82
17	458	अमरलाल पिता मिश्रीलाल जाति लोधी	11(A)	98.51
18	458	रामभरोसा पिता मिश्रीलाल जाति लोधी	11(B)	30.80
19	272	निहालसिंह पिता रामकिशन जाति लोधी	12	110.60
20	272	नोरंगीलाल पिता रामकिशन जाति लोधी	13	160.27

स.क्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
21	272	जगदीश पिता रामकिशन जाति लोधी	14	212.35
22	274/1/1/1	बनराजसिंह पिता रामसिंह जाति लोधी	15	165.82
23	274/1/1/1	बापूलाल पिता भित्रीलाल जाति लोधी	16	163.94
24	274/1/1/1	शिवराज पिता भित्रीलाल जाति लोधी	17	151.24
25	274/1/1/1	दशरथसिंह पिता काशीराम जाति लोधी	18	93.58
26	274/1/1/1	गुलाबसिंह पिता प्रेमसिंह जाति हरिजन	19	161.90
27	274/1/1/1	प्रतापसिंह पिता जगन्नाथ जाति केवट	20	72.43
28	274/1/1/1	जगन्नाथ पिता श्यामलाल जाति केवट	21	102.38
29	274/1/1/1	पूनमचन्द पिता पन्नालाल जाति मेहर	22	73.80
30	274/1/1/1	देवीसिंह पिता श्यामलाल जाति केवट	23	365.10
31	274/1/1/1	छोतर पिता गेंदा जाति लोधी	24	177.57
32	274/1/1/1	रवि पिता मूलचन्द जाति लोधी	25	64.72
33	114/2/1	प्रेमसिंह पिता भागीरथ जाति लोधी	26(A)	65.84
34	114/2/1	कूलसिंह पिता भागीरथ जाति लोधी	26(B)	71.93
35	114/2/1	लक्ष्मणसिंह पिता भागीरथ जाति लोधी	27	25.80
36	274/1	हरिभगत पिता काशीराम जाति लोधी	28	21.45
37	267	अमरसिंह पिता धूरीलाल जाति लोधी	29	116.95
38	445/2	रघुवीरसिंह पिता नारायणसिंह जाति लोधी	30	60.84
39	199	राधेश्याम पिता रामदयाल जाति लोधी	31	65.25
40	189	रेकमसिंह पिता नारायणसिंह जाति लोधी	32	1280.38
41	256	पुरुषोत्तम पिता कल्याणसिंह जाति	33	117.04
योग :-				8581.29
			घा.(हे.मं)	0.858

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) द्वारा, जिला- राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-03-अ-82-2022-23

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील सुठालिया जिला राजगढ़ के ग्राम-टोडी के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि/आबादी जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 224, 226, 231, 241, 660, 730, 738, 739, 741, 746, 747, 780, 785, 825, 931, 937, 938, 939, 102/4, 106/1, 252/2, 252/3, 290/1, 290/2, 290/3, 424/2, 467/1, 467/2, 467/3, 468/2, 49/4/3, 49/4/6, 540/1, 540/2, 540/3, 541/1, 541/2/1, 541/2/2, 56/1/2, 59/2, 59/3, 653/3, 663/1, 663/2, 663/3, 663/4, 681/1/1, 737/1, 787/1, एवं 9/3 पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

तहसील :- सुठालिया

जिला :- राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान :- ग्राम-टोडी

स.क्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5
1	939	गोपाल सिंह पिता मदनलाल जाति केवट	1	224.08
2	939	करणसिंह पिता मायाराम जाति लोधी	2	104.92
3	939	खुशीलाल पिता बिहारीलाल जाति गुर्जर	3	252.07
4	939	कंचनसिंह पिता हरिकिशन जाति गुर्जर	4	211.87
5	939	चंदरसिंह पिता हरकिशन जाति गुर्जर	5	200.85
6	939	बनेसिंह पिता करनसिंह जाति लोधी	6	155.18
7	938	श्यामसुन्दर पिता भागीरथ जाति चौरासिया	9	312.53
8	938	मिश्रीलाल पिता बद्रीलाल जाति चौरासिया	10	278.32
9	937	कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति धनगर	11	72.10
10	937	पवन पिता प्रेम जाति लोधी	12	47.73
11	937	प्रेमसिंह पिता खुमान जाति लोधी	13	75.36
12	937	विनोद पिता देवीलाल जाति केवट	14	110.89
13	937	देवालाल पिता कनीराम जाति केवट	15	84.82
14	937	रघुवीर पिता देवालाल जाति केवट	16	66.76
15	937	मलतु पिता नाथूलाल जाति केवट	17	180.28
16	937	मंगु पिता नाथूलाल जाति केवट	18	185.10
17	937	पुनमचन्द पिता मांगीलाल जाति विश्वकर्मा	19	189.56
18	937	कमलेश पिता अमरलाल जाति केवट	20	113.76
19	937	गोपाल पिता अमरलाल जाति केवट	21	85.32

स.क.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
20	937	रमेश पिता पन्नालाल जाति केवट	22	104.54
21	937	विष्णुबाई पति रामबाबू जाति केवट	23	105.80
22	937	ग्यारसीराम पिता हीरालाल जाति केवट	24	129.06
23	937	कैलाशचन्द पिता हीरालाल जाति केवट	25	62.37
24	937	गुल्लोबाई पति रामचरण जाति केवट	26	159.47
25	937	संपतबाई पति गुलाबसिंह जाति वर्मा	27	167.25
26	937	रमेश पिता कन्हैयालाल जाति अहिरवार	28	126.14
27	937	बनेसिंह पिता कन्हैयालाल जाति अहिरवार	29	126.14
28	937	रामबाबू पिता जमनालाल जाति लोधी	30	127.86
29	937	राजेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत	31	116.76
30	937	धनराज पिता देवबक्स जाति गुर्जर	32	58.46
31	937	हीरालाल पिता बन्शीलाल जाति लोधी	33	65.12
32	937	मेहरबानसिंह पिता बालकिशन जाति गुर्जर	34	70.00
33	937	रामप्रसाद पिता नन्नूलाल जाति अहिरवार	35	34.44
34	937	मुकेश पिता मांगीलाल जाति केवट	36	68.85
35	937	गोलू पिता मांगीलाल जाति केवट	37	94.35
36	937	लाखनसिंह पिता मांगीलाल जाति केवट	38	101.85
37	937	राजू पिता मांगीलाल जाति केवट	39	91.68
38	937	दुलीचन्द पिता हरिनारायण जाति नामदेव	40	50.32
39	937	लक्ष्मीनारायण पिता मथरालाल जाति नामदेव	41	50.32
40	937	रामबाबू पिता भंवरलाल जाति नामदेव	42	50.32
41	937	हरिनारायण पिता गोपीलाल जाति नामदेव	43	36.27
42	937	मुलचन्द पिता देवीलाल जाति वर्मा	44	121.15
43	937	रमेश पिता जगन्नाथ जाति वर्मा	45	183.85
44	937	अनारबाई पति भागमल जाति धनगर	46	83.29
45	937	राजूबाई पति भगवानसिंह जाति धनगर	47	85.80
46	937	मुकेश पिता हीरालाल जाति वर्मा	48	167.38
47	937	हीरा पिता गनपत जाति वर्मा	49	66.30
48	937	रामचरण पिता कालूराम जाति अहिरवार	50	173.08
49	937	श्यामसिंह पिता कल्याणसिंह जाति राजपूत	51	108.80
50	937	जगन्नाथ पिता मदनलाल जाति अहिरवार	52	59.04
51	937	भरौसा पिता मदनलाल जाति वर्मा	53	72.72
52	937	अनीताबाई पति चन्दरलाल जाति वर्मा	54	31.62
53	937	केदारबाई पति कैलाश जाति वर्मा	55	50.85
54	937	जितेन्द्र पिता कैलाश जाति वर्मा	56	70.82
55	931	गुलजाबाई पति कैलाश जाति हरिजन	57	110.55
56	931	रामप्रसाद पिता गोपीलाल जाति वर्मा	58	11.22
57	931	ओमप्रकाश पिता ग्यारसीराम जाति वर्मा	59	138.25
58	931	धर्मेन्द्र पिता प्रीतम जाति वर्मा	60	22.77

स.क्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
59	931	अयोध्याबाई पति प्रीतम जाति वर्मा	61	58.65
60	931	कान्तीबाई पति ओमप्रकाश जाति हरिजन	62	58.52
61	931	रामबाबू पिता मुलचन्द जाति अहिरवार	63	55.84
62	937	महेश पिता मुलचन्द जाति अहिरवार	64	39.16
63	937	प्रेमसिंह पिता मुलचन्द जाति वर्मा	65	39.16
64	937	विनोद पिता मुलचन्द जाति वर्मा	66	83.67
65	937	मांगीलाल पिता किशनलाल जाति हरिजन	67	70.18
66	937	किशनलाल पिता गोपीलाल जाति हरिजन	68	198.98
67	937	राकेश पिता गंगाधर जाति साहू	69	219.45
68	931	गोविन्द पिता चत्तरसिंह जाति राजपूत	70	24.75
69	931	ऊषा खिंची पति बहादुर खिंची जाति राजपूत	71	49.72
70	931	हरिसिंह पिता जगनारायण जाति राजपूत	72	499.24
71	931	शकूर खॉन पिता रेहमानशाह जाति मुस्लिम	73	30.36
72	931	पुरुषोत्तम पिता रामलाल जाति केवट	74	451.63
73	931	महेन्द्रसिंह पिता प्रभूनाथसिंह जाति राजपूत	75	17.94
74	931	मोतीसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	76	17.94
75	931	इमरत पिता कालूलाल जाति मोची	77	95.21
76	937	रामकलीबाई पति स्व.रामभरोसे जाति हरिजन	78	161.35
77	937	रोडजी पिता खुशीलाल जाति हरिजन	79	244.22
78	937	भारत पिता हीरा जाति वर्मा	80	132.56
79	937	अशोक पिता हीरालाल जाति वर्मा	81	35.75
80	937	काशीराम पिता नाथूलाल जाति हरिजन	82	45.25
81	937	लक्ष्मीनारायण पिता काशीराम जाति हरिजन	83	36.09
82	937	भजनसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाति वर्मा	84	64.92
83	937	राहुल पिता लक्ष्मीनारायण जाति अहिरवार	85	32.48
84	937	संजू पिता मानसिंह जाति लोधी	86	52.21
85	937	रोहित पिता दिलीप जाति देशमुख	87	111.17
86	937	मंगला पति स्व. दिलीप जाति देशमुख	88	43.75
87	937	मनीषा पति दिलीप जाति देशमुख	89	25.56
88	937	देवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत	90	144.98
89	937	हनुमंतसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत	91	17.10
90	937	मूलसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत	92	17.10
91	937	टीकमसिंह पिता मोतीलाल जाति गुर्जर	93	16.90
92	937	दयाराम पिता भंवरलाल जाति केवट	94	132.92
93	937	निर्भयसिंह पिता मथरालाल जाति केवट	95	203.94
94	937	देवीसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर	96	142.30
95	937	मांगीलाल पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर	97	202.56
96	937	बलवीरसिंह पिता प्रभूनाथसिंह जाति राजपूत	98	165.15
97	937	प्रेमसिंह पिता प्रभूनाथसिंह जाति राजपूत	99	218.06

स.क्र.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
98	937	दयारामसिंह पिता दशरथसिंह जाति राजपूत	100	38.18
99	937	मुलसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	101	508.28
100	937	भंवरसिंह पिता गजराजसिंह जाति चौहान	102	92.08
101	937	हेमसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत	103	114.54
102	931	रामसिंह पिता जगनारायणसिंह जाति राजपूत	104	505.60
103	931	संतोषसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत	105	42.56
104	931	जयपालसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत	106	196.81
105	931	जितेन्द्रसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत	107	54.32
106	931	देवराजसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	110	270.43
107	931	भुपेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	111	222.92
108	931	नरेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	112	157.84
109	931	विक्रमसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत	113	78.64
110	931	कृष्णपालसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत	114	67.20
111	787/1	गजराजसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत	115	115.34
112	787/1	सुरेन्द्रसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपूत	116	66.33
113	787/1	चन्दनसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत	117	156.61
114	785	रघुवीरसिंह पिता करनसिंह जाति राजपूत	118	60.80
115	785	कमलेश पिता रोड जी जाति केवट	119	106.16
116	785	कैदारबाई पति रोड जी जाति केवट	120	105.90
117	780	पूनमचन्द पिता मदनलाल जाति वर्मा	121	39.13
118	780	हरिराम पिता दोलजी जाति वर्मा	122	91.21
119	780	बबलु पिता हीरालाल जाति अहिरवार	123	81.16
120	746	राधेश्याम पिता हरिराम जाति वर्मा	124	60.28
121	746	कन्हैयालाल पिता देवचन्द जाति वर्मा	125	108.29
122	746	शांतिबाई पति स्व. बद्रीलाल जाति वर्मा	126	110.18
123	746	मांगीलाल पिता प्रभूलाल जाति वर्मा	127	70.86
124	746	प्रभूलाल पिता प्यारजी जाति वर्मा	128	154.72
125	746	कंवरलाल पिता प्रभूलाल जाति वर्मा	129	60.68
126	746	कालूराम पिता दयाराम जाति हरिजन	130	195.90
127	746	राकेश पिता कालूराम जाति हरिजन	131	78.40
128	747	गुलाब बाई पति संखन जाति हरिजन	132	141.83
129	747	भारतसिंह पिता परसराम जाति हरिजन	133	61.95
130	747	रतनलाल पिता गोपीलाल जाति हरिजन	134	29.64
131	747	रामचरण पिता प्रभूलाल जाति हरिजन	135	63.68
132	739	बद्रीलाल पिता सेवाराम जाति केवट	136	127.13
133	739	तुलसीराम पिता सेवाराम जाति केवट	137	190.05
134	739	सेवाराम पिता अमरसिंह जाति केवट	138	37.38
135	739	दिलीप पिता सेवाराम जाति केवट	139	52.27
136	730	फूलसिंह पिता कन्हैयालाल जाति केवट	141	274.25

स.क.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
137	741	चैनसिंह पिता कन्हैयालाल जाति केवट	142	102.56
138	737/1	हीरालाल पिता ग्यारसीराम जाति केवट	143	35.10
139	825	बलवीरसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत	144	262.97
140	741	गोपाल पिता प्रकाश जाति केवट	145	89.01
141	738	जमनालाल पिता देवालाल जाति मेहर	146	90.54
142	738	पप्पू पिता देवालाल जाति केवट	147	38.43
143	738	घीसालाल पिता मिश्रीलाल जाति भोई	148	156.98
144	738	रंगलाल पिता भंवरलाल जाति बलाई	149	72.60
145	730	धून्दा पिता गोरीलाल जाति केवट	150	155.81
146	730	लालचंद पिता धुलजी जाति केवट	151	46.32
147	730	हजारीलाल पिता देवालाल जाति केवट	152	97.50
148	730	हरिसिंह पिता गंगाधर जाति केवट	153	229.45
149	730	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति प्रजापति	154	207.36
150	730	मोतीलाल पिता कन्हैयालाल जाति केवट	155	75.68
151	937	रूपसिंह पिता गंगाराम जाति केवट	156	73.71
152	937	रामकिशन पिता मोतीलाल जाति केवट	157	157.69
153	937	महेश पिता रामचरण जाति धोबी	158	124.10
154	937	मदनलाल पिता कंवरलाल जाति धोबी	159	93.16
155	937	गणेश जी का चबूतरा (मंदिर)	160	30.50
156	681/1/1	राजेन्द्रसिंह पिता भूपेन्द्रसिंह जाति राजपूत	161	219.30
157	681/1/1	विरेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत	162	591.68
158	681/1/1	नरेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत	163	403.00
159	681/1/1	जगमोहनसिंह पिता भुपेन्द्रसिंह जाति राजपूत	164	254.92
160	681/1/1	देवेन्द्रसिंह पिता जगमोहनसिंह जाति राजपूत	165	349.09
161	681/1/1	महेन्द्रपालसिंह पिता भुपेन्द्रसिंह जाति राजपूत	166	197.17
162	681/1/1	ओमपालसिंह पिता महेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत	167	407.42
163	681/1/1	विजयपाल चौहान पिता महेन्द्रपाल चौहान जाति राजपूत	168	327.05
164	681/1/1	रूपेन्द्रसिंह पिता विरेन्द्रसिंह जाति राजपूत	169	641.53
165	653/3	हेमराज पिता हरिकिशन जाति लोधी	170	125.09
166	653/3	पहलवानसिंह पिता हरिकिशन जाति लोधी	171	124.41
167	653/3	हरिकिशन पिता छीतरलाल जाति लोधी	172	283.25
168	541/1	रामचरण पिता छीतरलाल जाति लोधी	173	181.98
169	541/1	अजबसिंह पिता रामचरण जाति लोधी	174	161.08
170	541/1	घनश्याम पिता रामचरण जाति लोधी	175	182.31
171	541/2/2	राधेश्याम पिता रामबगस जाति लोधी	176	139.05
172	541/2/2	लालाराम पिता राधेश्याम जाति लोधी	177	139.05
173	541/2/1	रामबगस पिता छीतरलाल जाति लोधी	178	63.64
174	541/2/2	द्वारका पिता राधेश्याम जाति लोधी	179	40.32

स.क.	आवादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
175	541/2/1	समन्दरसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाति लोधी	180	147.84
176	541/2/1	राकेश पिता लक्ष्मीनारायण जाति लोधी	181	153.53
177	540/1	प्रभूलाल पिता खुमान जाति लोधी	182	217.93
178	540/1	भारतसिंह पिता खुमानसिंह जाति लोधी	183	228.97
179	540/2	नानजीराम पिता सेवाराम जाति लोधी	184	167.77
180	540/2	कमलसिंह पिता बालकिशन जाति गुर्जर	185	272.25
181	540/3	राधेश्याम पिता छोटेलाल जाति लोधी	186	257.02
182	540/3	धन्नालाल पिता छोटेलाल जाति लोधी	187	140.13
183	540/3	हरिसिंह पिता छोटेलाल जाति लोधी	188	149.06
184	540/3	छोटेलाल पिता सेवाराम जाति लोधी	189	227.27
185	467/1	जयसिंह पिता देवीलाल जाति लोधी	190	513.72
186	468/2	राजेन्द्र पिता शिवचरण जाति लोधी	191	606.03
187	467/2	रघुवीरसिंह पिता देवीलाल जाति लोधी	192	107.31
188	467/3	शिवचरण पिता देवीलाल जाति लोधी	193	104.88
189	241	कन्हैयालाल पिता खेमचन्द जाति लोधी	194	39.27
190	241	मनमोहन पिता कन्हैयालाल जाति लोधी	195	90.04
191	241	राधेश्याम पिता कन्हैयालाल जाति लोधी	196	129.11
192	241	गजराज पिता कन्हैयालाल जाति लोधी	197	128.15
193	241	मंगूसिंह पिता चान्दसिंह जाति राजपूत	198	70.50
194	241	कृष्णपालसिंह पिता मंगूसिंह जाति राजपूत	199	69.56
195	241	सौभाग्यसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत	200	129.01
196	241	प्रेमसिंह पिता सौभाग्यसिंह जाति राजपूत	201	107.39
197	241	पर्वतसिंह पिता सौभाग्यसिंह जाति राजपूत	202	101.10
198	241	गुलाबसिंह पिता सौभाग्यसिंह जाति राजपूत	203	53.82
199	231	जगदीश पिता अमरलाल जाति लोधी	204	99.69
200	231	अमरलाल पिता नाथूलाल जाति लोधी	205	58.12
201	231	मोहनसिंह पिता अमरलाल जाति लोधी	206	34.32
202	231	पदमसिंह पिता रामसिंह जाति लोधी	207	248.18
203	231	राधेश्याम पिता रामसिंह जाति लोधी	208	272.96
204	231	भारतसिंह पिता रामसिंह जाति लोधी	209	204.88
205	231	धापुबाई पति रामसिंह जाति लोधी	210	251.60
206	231	बाबूलाल पिता करनसिंह जाति लोधी	211	236.94
207	226	अर्जुन सिंह पिता करणसिंह जाति लोधी	212	66.58
208	226	धापुबाई पति करण सिंह जाति लोधी	213	84.68
209	226	मोहनसिंह पिता करण सिंह जाति लोधी	214	188.92
210	424/2	बद्रीलाल पिता रामसिंह जाति लोधी	215	284.37
211	224	रामहेत पिता बद्रीलाल जाति लोधी	216	261.21
212	224	बद्रीलाल पिता करनसिंह जाति लोधी	217	365.39
213	224	सुन्दरलाल पिता खुशीलाल जाति लोधी	218	116.98

स.क.	आबादी के सर्वे नम्बर	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
214	224	कमलसिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी	219	141.63
215	660	दिलीप पिता जमनालाल जाति लोधी	220	341.66
216	663/2	हेमराज पिता नाथुलाल जाति लोधी	221	127.38
217	663/4	मुकेश पिता शिवराज जाति लोधी	222	257.44
218	663/1	नारायण सिंह पिता नाथुलाल जाति लोधी	223	173.10
219	252/2	सागर सिंह पिता बालमुकंद जाति लोधी	224	166.93
220	253/3	विजय सिंह पिता करण सिंह जाति लोधी	225	218.16
221	290/3	बनेसिंह पिता अर्जुन सिंह जाति लोधी	226	182.98
222	290/2	जगदीश पिता अर्जुन सिंह जाति लोधी	227	148.40
223	290/1	रामबाबु पिता अर्जुन सिंह जाति लोधी	228	70.08
224	49/4/6	निरपत सिंह पिता रंजीत सिंह जाति लोधी	229	213.08
225	102/4	बनेसिंह पिता अमरलाल जाति लोधी	230	281.80
226	106/1	पानबाई पति करन सिंह जाति लोधी	231	108.55
227	106/1	सूरजसिंह पिता करनसिंह जाति लोधी	232	96.98
228	49/4/3	गोपालसिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी	233	263.65
229	49/4/3	कमलसिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी	234	181.31
230	59/3	मेवाबाई पति शम्भूसिंह जाति लोधी	235	596.09
231	59/2	अमरी बाई पति अमरत लाल जाति लोधी	236	150.53
232	59/1	रघुवीर सिंह पिता बंदीलाल जाति लोधी	237	429.51
233	56/1/2	चिरौंजीलाल पिता पन्नालाल जाति लोधी	238	79.30
234	9/3	बाबुलाल पिता मानसिंह जाति लोधी	239	162.63
योग :-				34101.06
			या.(हे.में)	3.410

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-12182-भू-अर्जन-2023

राजगढ़, दिनांक 30 नवम्बर 2023

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0015/अ-82/2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में ग्राम सेमली कला, तहसील खिलचीपुर की कुल 8.698 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची-2 :—

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम सेमली कला रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:—

ग्राम सेमली कला, तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जितरकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1	दुलीचंद्र पिता बिहारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सेमलीकला भूस्वामी	1/1	1.137	0.283	सिंचित	
		योग	1.137	0.283		
2	बापुलालपिता भंवरलाल जाति सौंध्या निवासीपूराकुमारा भूस्वामी	1/4/1	0.436	0.056	सिंचित	
		योग	0.436	0.056		
3	कौशल्याबाई पत्नी आत्माराम जाति ब्राह्मणनिवासीसेमलीकलाभूस्वामी	536/1/1 536/2/1	0.941 0.156	0.532 0.115	सिंचित	
		योग	1.097	0.647		
4	गेंदालाल पिता कालूलाल जाति लोढ़ा निवासी डोलीबार इकलेरा झालावाड़ राजस्थान भूस्वामी	538/1/1/2	0.138	0.048	सिंचित	
		योग	0.138	0.048		
5	बीरमसिंह पिता कालु हिस्सा ½, कमलसिंह, रेशमबाई पिता करणसिंह भंवरबाई बेवा करणसिंह हिस्सा ½ जाति सौंध्या निवासी मूंगकापुरा इकलेरा झालावाड़ राजस्थान भूस्वामी	535/5/1	0.315	0.315	सिंचित	
		योग	0.315	0.315		
6	भगवतीप्रसाद पिता मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सेमलीकला भूस्वामी	527/2/2/1	0.407	0.286	सिंचित	

		योग	0.407	0.286		
7	सुरेशचंद पिता बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सेमलीकला भूस्वामी	529/1/1/2 527/3/2	0.281 0.202	0.173 0.101	सिंचित	खेजड़ी 2
		योग	0.483	0.274		
8	जगदीशचंद पिता बद्रीलाल जाति ब्राह्मण ग्राम सेमलीकला	529/1/1/1/1	0.261	0.073		
		योग	0.261	0.073		
9	भागीरथ पिता गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सेमलीकला भूस्वामी	529/1/2	0.562	0.242	सिंचित	
		योग	0.562	0.242		
10	जगदीश प्रसाद, सुरेश, सुमित्रा, पिता बद्रीलाल, भागीरथ पिता गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सेमलीकला भूस्वामी	529/1/3	0.013	0.013	सिंचित	पक्का कुआँ-1 नीम 2
		योग	0.013	0.013		
11	रामलाल, बिहारीलाल, बनेसिंह, भवरीबाई, धूलीबाई पिता किशन, राधेश्याम रमेश रामप्रसाद फूलचंद पिता कालु कृष्णा बाई सौरभ बाई पुत्री कालू नंदू बाई बेवा कालू लक्ष्मण, गंगाराम पिता हीरालाल जाति लोढ़ा निवासी सेमलीकला भूस्वामी	530/1	0.470	0.338	सिंचित	
		योग	0.470	0.338		
12	गणपत पिता परधी जाति कुम्हार निवासी सेमलीकला भूस्वामी	527/4	0.554	0.286	सिंचित	पक्का कुआँ-1
		योग	0.554	0.286		
13	प्रभुलाल मांगीलाल रामप्रसाद बिरम लीलाबाई नोरंगबाई पिता छोटु जाति कहार निवासी सेमलीकला भूस्वामी	526/2/3	0.230	0.132	सिंचित	
		योग	0.230	0.132		
14	पर्वतसिंह पिता बापुलाल जाति सौंध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी	525/3/1	0.052	0.052	सिंचित	
		योग	0.052	0.052		
15	फतेहसिंह पिता कनीराम जाति सौंध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी	525/5/1	0.119	0.119	सिंचित	
		योग	0.119	0.119		
16	प्रेमबाई पति भंवरलाल जाति सौंध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी	525/4/1	0.120	0.111	सिंचित	
		योग	0.120	0.111		
17	करणसिंह, रतनबाई पिता जगन्नाथ, कंचनबाई बेवा जगन्नाथ जाति सौंध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी	525/2	0.112	0.094	सिंचित	
		योग	0.112	0.094		

18	अनोखवाई पत्नी अनार सिंह जाति सौध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी	524/1	0.303	0.078	सिंचित	पक्का कुआँ-1 बोर 1 बंबूल 1
		योग	0.303	0.078		
19	प्रेमबाई पत्नी भंवरलाल जाती सौध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी	524/2	0.241	0.078	सिंचित	पक्का कुआँ-1
		योग	0.241	0.078		
20	फतेसिंह पिता कनीराम जाती सौध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी	524/3	0.242	0.079	सिंचित	
		योग	0.242	0.079		
21	जितेंद्र, राहुल पिता प्रेमसिंह मनोहर बेवा प्रेमसिंह जाती चमार निवासी सेमलीकला भूस्वामी	376/3/1/3	0.075	0.017	सिंचित	
		योग	0.075	0.017		
22	मांगीलाल पिता उंकार पर्वत कालू जगदीश पिता प्रभुलाल बालचन्द लालचंद सौरभ द्रोपदबाई लीलाबाई डालीबाई पिता हीरा रतनबाई बेवा हीरा जाति चमार निवासी सेमलीकला भूस्वामी	376/4/1 376/6 374/1 370/1	0.115 0.182 0.163 0.583	0.030 0.154 0.022 0.025	सिंचित	
		योग	1.043	0.231		
23	नरेश सतीश अशोक पिता प्रभुलाल निर्मलाबाई पुत्री प्रभुलाल जाती कलाल पता निवासी सेमलीकला भूस्वामी	369/1	0.280	0.193	सिंचित	
		योग	0.280	0.193		
24	प्रभुलाल पिता कालू जाती चमार निवासी सेमलीकला भूस्वामी	357/2/1/1	0.067	0.067	सिंचित	
		योग	0.067	0.067		
25	बालू लीलाबाई कांतिबाई ज्योध्याबाई सोबी दुर्गा अन्नू पिता प्रभुलाल अमरसिंह भुरु पिता प्रभुलाल नन्दुबाई बेवा प्रभुलाल धापू कन्या पिता छीता नन्दू बेवा छीता शिवनारायण कलाबाई पत्नी बीरम दरियावबाई बैवा विरम जाति चमार पता निवासी ग्राम सेमलीकला भूस्वामी	357/2/2/1	0.067	0.067	सिंचित	
		योग	0.067	0.067		
26	प्रकाश पिता प्रभू अमरसिंह पिता प्रभू पूरिया पिता प्रभू नन्दूबाई बेवा प्रभूजाति चमार पता राजगढ मध्य प्रदेशभूमि स्वामी	357/2/3/1	0.185	0.043	सिंचित	
		योग	0.185	0.043		
27	रतन पिता गोपी प्रभुबाई पत्नी रतन जाति चमार निवासी भूमि स्वामी	356/1/2/1	0.290	0.106	सिंचित	कुआँ अर्ध पक्का -1 खेजड़ी 4

						खाकरा 1
		योग	0.290	0.106		
28	रामबाबू, कमलसिंह, ममताबाई, पूजाबाई पिता मांगीलाल भवरीबाई बेवा मांगीलाल जाति चमार निवासी भूमि स्वामी	356/1/3/1 355/1/1	0.306 0.720	0.055 0.021	सिंचित	
		योग	1.026	0.076		
29	नोरंगबाई पत्नी सउलाल जाति चमार पता राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	354/1/3/1 354/1/4	0.204 0.884	0.150 0.051	सिंचित	
		योग	1.088	0.201		
30	नारायणसिंह शिवसिंह अमरसिंह पिता भंवरजी जाति सोंध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी	338/1 330/1	0.146 1.653	0.109 0.240	सिंचित	
		योग	1.799	0.349		
31	दरियाबबाई पत्नी भेरूलाल जाति बलाई निवासी मोतीपुरा भूस्वामी	337/2 337/1/1	0.581 0.453	0.006 0.040	सिंचित	खाकरा 1
		योग	1.034	0.046		
32	शिवसिंहपिता भंवरजी जाति सोंध्या निवासी भोजपुर भूस्वामी	319/1	1.486	0.256	सिंचित	
		योग	1.486	0.256		
33	कन्हैयालाल बद्रीलाल हरचंद सुजानसिंह फूलचन्द पिता भंवरिया गेन्द पिता कस्तुरीबाईपुत्री भंवरियाबिरम प्रभूलाल पिता बन्शी वरजीबाई बेवा बन्शी मेरीबाईरामप्यारी पुत्री देव्या जातिभील निवासी सेमलीकला भूस्वामी	316/1/1	1.236	0.137	सिंचित	
		योग	1.236	0.137		
34	बदेमिह प्रेमसिंह पप्पू पिता पूरा कस्तुरीबाई बेवा पूरा कस्तुरीबाई पुत्री ऊंकार मोडसिंह दुलीचन्द होकमचन्द पिता ऊंकार जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/4	0.180	0.159	सिंचित	
		योग	0.180	0.159		
35	बीरम पिता बंशीलाल नंदुबाई पत्नी बीरम जाति भील निवासी सेमलीकला भू स्वामी	314/1	0.197	0.197	सिंचित	
		योग	0.197	0.197		
36	शांतीबाईपिता हजारीलाल जाती भील निवासी सेमलीकला भू स्वामी	313/1	0.379	0.166	सिंचित	
		योग	0.379	0.166		
37	बद्रीलाल घनश्याम पिता माग्या गुलाबबाई बेवा माग्या गोकुल हजारी पिता गेन्दा 1/4 रामप्यारी भेरीबाई	313/2/1	3.749	0.036	सिंचित	

	पुत्री देव्या कन्हैयालाल बट्टी हरिचन्द सुमान फुलचन्द गेन्दीबाई कस्तुरीबाई पिता भवरिया बिरम प्रभूलाल पिता बशी मदन ग्यारसी लीला पिता धुल्या घनश्याम दुर्गाप्रसाद पिता किमर 1 पुरा पिता भेरू मोडसिंह दुलीचन्द होकमचन्द पिता ऊंकार कस्तुरीबाई पुत्री ऊंकार बदेसिंह पप्पू पिता पूरा 1/4 नन्दा मोहन माधू केसरभूमि स्वामी					
		योग	3.749	0.036		
38	मांगीलाल शिवसिंह बीरमसिंह लालजी पि. बदन मु. मुली बेवा बदन 1/3 भेरू रामलाल पि. घीसा जतन भंवरी नोरंग पि. परथीसिंह बापूलाल जगन्नाथ पि. गुलाब मांगी पि. देवसिंह पि. केसरबाई कृष्णबाई पि. परथीसिंह जगन्नाथ पि. गुलाब शैतान रजानबाई बेवा बीरमसिंह दुर्गाप्रसाद भगवानसिंह ममता पिता बीरमसिंह हरिसिंह कालूसिंह गंगाबाई मन्नीबाई पिता भेरूसिंह नरबदाबाई बेवा भेरूसिंह पर्वतसिंह केसरसिंह नारानसिंह पिता बापूलाल भंवरलाल फतेहसिंह पिता कनीराम अनारसिंह केसरबाई कृष्णाबाई पिता पूरा जाति सौध्या भू स्वामी	523	0.024	0.024	सिंचित	पक्का कुआँ-1
		योग	0.024	0.024		
39	फूलचंद पिता भीमा कमलाबाई पत्नीफूलचंद जातीचमार निवासी सेमलीकला भू स्वामी	356/1/4	0.500	0.21	सिंचित	
		योग	0.500	0.21		
40	रामलाल पिता भीमा चन्द्रकला पति रामलाल जाति बलाई निवासीसेमलीकला भू स्वामी	3/1	0.328	0.216	सिंचित	पक्का कुआँ- 1,मकान-1 सेमला 2 पपीता 15 आम 15 अमरुद 6 नीम 5
		योग	0.328	0.216		
41	दीपक कुमार पिता बिहारीलाल जाति ब्राह्मणनिवासीसेमलीकला भू स्वामी	3/2 2	0.138 0.999	0.138 0.108	सिंचित	
		योग	1.137	0.246		
42	भंवरलाल पिता कनीराम जाति सौध्या निवासीसेमलीकला भू स्वामी	522/1	0.063	0.013	सिंचित	
		योग	0.063	0.013		

43	फतेहसिंह पिता कनीराम जाति सौध्या निवासीसेमलीकला भू स्वामी	522/2	0.062	0.013	सिंचित	
		योग	0.062	0.013		

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जितरकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1	रामनीवास पिता गोरीलाल जाति ब्राह्मणनिवासीसेमलीकला भू स्वामी	537/1/1	0.853	0.633	सिंचित	
		योग	0.853	0.633		
2	मोहनलाल पिता भेरूलाल जाति बलाईनिवासी सेमलीकला भू स्वामी	1/5/1	0.488	0.308	सिंचित	
		योग	0.488	0.308		
3	बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सौध्या निवासी पुराकुमारा भू स्वामी	1/5/2	0.506	0.506	सिंचित	
		योग	0.506	0.506		
4	पुरसिंह पिता बनेसिंह जाति सौध्या निवासी कांगनीखेडा राजगढ़ भू स्वामी	1/1/1/2	0.253	0.253	सिंचित	
		योग	0.253	0.253		
5	आत्माराम पिता गोरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी सेमलीकला भू स्वामी	537/2/1	0.108	0.108	सिंचित	
		योग	0.108	0.108		
6	भीमा पिता काना जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	357/3/1	0.05	0.05	सिंचित	
		योग	0.05	0.05		
7	बालु पिता बापु धापुबाई पती बालू जाती चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	356/1/1/1	0.279	0.167	सिंचित	
		योग	0.279	0.167		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-1399-भू-अर्जन-2023

रायसेन, दिनांक 9 अक्टूबर 2023

प्र.कं.000 /अ-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची कं-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हि.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	ग्राम दिघावन प.ह.नं. 30 तहसील उदयपुर	कुल 7.806 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम दिघावन की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम दिघावन की निजी भूमि				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	असरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	भवानी आ.राजाराम जाति लोधी	448	0.624	0.016
2	अविनाशदास आ.कृष्णदास जाति ब्राह्मण	449	0.304	0.040
3	अविनाशदास आ.कृष्णदास जाति ब्राह्मण	456	0.223	0.060
4	बृजराज आ.दुर्गाप्रसाद जाति लोधी	455	0.700	0.101
5	श्री सिद्धघाट स्थान ट्रस्ट पंजीयन कं 20 दिनांक 20.08.2014	457	0.429	0.160
6	कोमल सिंह आ.दुर्गाप्रसाद जाति लोधी	458	0.065	0.065
7	कोमल सिंह आ.दुर्गाप्रसाद जाति लोधी	460	0.251	0.251
8	देवीसिंह आ.राधेलाल लोधी	459	0.498	0.080

9	अंधेर सिंह आ.अजमेर सिंह, आघार सिंह आ.अजमेर सिंह, अमर सिंह आ.अजमेर सिंह, अशोक सिंह आ.अजमेर सिंह जाति लोधी	461	0.255	0.060
10	परशोत्तम आ.झलकन जाति लोधी	435/3	1.416	0.072
11	मीनाबाई पिता विजय सिंह जाति लोधी	466/2	0.809	0.064
12	हरिबाई पुत्री बारेवीर जाति लोधी	467	2.189	0.080
13	लीलाबाई बेवा दुर्गाप्रसाद, ब्रजराज आ.दुर्गाप्रसाद, हंसराज आ. दुर्गाप्रसाद, नरेन्द्र आ.दुर्गाप्रसाद, मानवतीबाई पिता दुर्गाप्रसाद, मालतीबाई पिता दुर्गाप्रसाद सभी हिस्सा 1/8	469	0.283	0.040
14	छत्रपाल सिंह नाबा.पिता हंसराज संर.हंसराज भाग 145/153 मीराबाई पत्नि बेनीप्रसाद 8/153	470/2	0.153	0.032
15	देवीसिंह आ.नारायण सिंह जाति लोधी	471/1	2.590	0.110
16	ओंकार सिंह आ.नारायण जाति लोधी	471/2	2.513	0.110
17	लीलाबाई बेवा दुर्गाप्रसाद, ब्रजराज, हंसराज, नरेन्द्र, मानवतीबाई, मालतीबाई, आ. दुर्गाप्रसाद सभी हि.1/6	468	1.424	0.004
18	तुलसाबाई पुत्री भवानी, अम्मेबाई बेवा धनसिंह, फूलाबाई, शीलाबाई, उमाशंकर, संतोष कुमार आ.धनसिंह जाति काछी	476/1/2/1	0.797	0.170
19	पन्नालाल आ. खरगराम जाति काछी	476/3/4	0.203	0.056
20	तुलसाबाई पुत्री भवानी, अम्मेबाई बेवा धनसिंह, उमाशंकर, संतोष कुमार, फूलाबाई शीलाबाई, आ.धनसिंह काछी	475/1	0.097	0.097
21	हुकुमपाल आ.विजय सिंह जाति लोधी	475/2	0.405	0.405
22	झलकन सिंह आ.गोपीलाल जाति काछी	479/1/1	0.809	0.405
23	राजेश कुमार आ. हल्केवीर जाति नौरिया	479/1/2/1	0.405	0.383
24	सावित्रीबाई बेवा हल्केवीर जाति नाई	479/1/2/2	0.607	0.121
25	प्रदीप कुमार आ.हल्केवीर जाति नौरिया	479/2/1	0.810	0.330
26	यशपाल आ.धनश्याम सिंह जाति लोधी	479/2/2	0.809	0.021
27	ओंकार सिंह आ.गोपीलाल जाति काछी	480/1/1	0.607	0.080
28	द्वारका आ.गोपीलाल जाति काछी	480/1/2	0.331	0.101
29	झलकन सिंह आ.गोपीलाल जाति काछी	480/2	0.930	0.304
30	अखलेश कुमार आ.हरनारायण जाति काछी	481/1/2	1.417	0.061
31	कढोरीलाल आ.हरचरण, रामप्रसाद, मुन्नीबाई, गुडडीबाई आ.हरचरण जाति काछी	481/2	1.453	0.101
32	द्वारका आ.गोपीलाल जाति काछी	481/3/1	0.275	0.020
33	सरजूबाई बेवा गोपीलाल जाति काछी	481/3/2	0.235	0.020
34	विकास आ.झलकन सिंह जाति काछी	481/4	0.526	0.038
35	प्रमोद कुमार आ.बाबूलाल जाति लोधी	483	1.823	0.105
36	ताराचंद, मोहन, परशोत्तम आ.बहवल सिंह जाति लोधी	486	3.088	0.324
37	जसमन आ.छिदामीलाल जाति काछी	513/2/1	1.145	0.030
38	नन्हेलाल आ.छिदामी जाति काछी	513/2/2	1.214	0.030
39	राजेश कुमार नाबा.आ.नन्हेलाल आ.छिदामी जाति काछी	522/2/2/1	0.405	0.004
40	जसवंत सिंह आ.छिदामीलाल	524/2	0.445	0.056
41	लालसिंह आ.राजाराम जाति चमार	537/3/1	0.362	0.040
42	हरिबाई पत्नि गनेश जाति चमार	537/4	1.485	0.204
43	धनश्यामसिंह आ.धनराज सिंह जाति लोधी	537/5/1	5.053	0.262
44	बाबूलाल आ.निर्मयसिंह जाति काछी	538/1/1	0.413	0.413
45	काशीराम आ.मुल्लू जाति नौरिया	538/1/2	0.202	0.202
46	गोविन्द, राजकुमार, आ.निर्मय सिंह जाति काछी	538/2	0.615	0.615
47	संतोष कुमार आ.हल्के जाति काछी	531/1/1/1	0.202	0.081
48	महंत श्री शिवनारायणदास पिता गुरु महंत श्री किशोरीशरण दास	531/1/2	0.202	0.081
49	शबूत सिंह, नन्हेमैया आ. हरप्रसाद काछी	531/2/1	0.323	0.032
50	श्री शिवनारायणदास पिता गुरु श्री किशोरीशरण दास श्रीरामजानकी मंदिर	531/2/2	0.554	0.126

51	हल्केवीर आ.दौलत कृशवाहा जाति काछी	533	0.312	0.312
52	संतोष कुमार आ. हल्केवीर जाति काछी	534/1	0.189	0.189
53	मंहत श्री शिवनारायण दास पिता गुरु मंहत श्री किशोरीशरणदास	534/2	0.243	0.243
54	बछत सिंह आ.मबूत सिंह जाति लोधी	540	0.242	0.180
55	महेश कुमार आ.फूलसिंह जाति लोधी	472	0.097	0.097
56	महेश कुमार आ.फूलसिंह जाति लोधी	473	0.098	0.098
57	तुलसाबाई पुत्री भवानी, अम्मीबाई बेवा धनसिंह, फूलाबाई, शीलबाई, उमाशंकर, संतोष कुमार आ.धनसिंह जाति काछी	474	0.210	0.024
कुल योग-			44.364	7.806

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग शोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

क्र.-1399-भू-अ-2023.

प्र.कं.00014/अ-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची कं-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	ग्राम पतई प. ह.बं. 40 . तहसील देवरी	कुल 9.672 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम पतई की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित रूब क्षेत्र ग्राम पतई की निजी भूमि				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	असरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	लाजवन्ती बाई पत्नी रमेश कुमार	180 / 2 / 1	1.077	0.050
2	चन्द्रकांत पिता रमेश कुमार	180 / 2 / 2	0.708	0.048
3	चन्द्रकांत पिता रमेश कुमार	187	0.709	0.012
4	हंसराज पिता वल्लभदास जाति मालपानी	190 / 1 / 3	4.193	0.440
5	रामेतीबाई पत्नि कल्याणसिंह	190 / 2	1.761	0.025
6	अर्चना पत्नी शिवकुमार	192 / 1	1.432	0.527
7	शीलम पत्नी चंद्रकांत	192 / 2	1.432	0.526
8	पूनम पत्नि प्रदीप कुमार दुबे	192 / 3	1.432	0.527
9	चन्द्रकांत पिता रमेश कुमार	194 / 2	1.404	0.525
10	पूनम पत्नि प्रदीप कुमार दुबे	193	0.238	0.238
11	श्री सर्व श्री ईश्वर शंकर जी मंदिर पतई सरवरायकार श्री बालकराम स्वरूपा नंद जी चेला रामानंद जी कृष्ण कुमार आ जीवनदास नर्मदा पुत्री पतई एवं श्री मान कलेक्टर महोदय	196 / 1	3.642	0.980
12	नाथूराम पिता दलसिंह, हल्के पिता दलसिंह	198/2	0.984	0.280
13	परसू पिता बिहारी	204/1	1.079	0.055
14	भैरो पिता बिहारी	204/2	1.079	0.155
15	मुन्ना पिता बिहारी	204/3	1.079	0.090
16	बब्लू पिता खुशीलाल जाति काछी	204 / 4	1.079	0.315
17	श्रीमति अंजूबाई पत्नि विक्रांत	197 / 1	1.607	0.100
18	लाजवन्ती बाई पत्नी रमेश कुमार	197 / 2	1.607	0.084
19	मंगल पिता हल्के जाति नौरिया	200 / 1 / 1	0.793	0.170
20	फुमिया बाई बेवा मुलुआ जाति नौरिया	200 / 2 / 1 / 2	0.366	0.075
21	नंदकिशोर पिता मुलुआ जाति नौरिया	200 / 2 / 2 / 1	0.213	0.065
22	गोविन्द पिता नाथूराम जाति डीमर	201 / 1 / 2	0.405	0.020
23	छोटेराल पिता चतरे जाति लोधी	332 / 1 / 3	0.559	0.032
24	नर्मदाप्रसाद पिता उमेद सिंह	307 / 1	1.939	0.040
25	अंतराम पिता उमेद सिंह	307 / 2	1.933	0.024
26	जयपाल सिंह पिता रतन सिंह	285 / 1 / 2	0.412	0.020
27	बलवंत सिंह पिता हल्केवीर जाति लोधी	285 / 3	1.242	0.120
28	मेहरवान सिंह पिता हल्केवीर	285 / 4	1.242	0.140
29	सतपाल पिता नारायणसिंह जाति राजपूत	283 / 1 / 2	0.405	0.035
30	सरदार सिंह पिता गोधन सिंह	283 / 2	1.177	0.164
31	शिशुपाल सिंह पिता गोधन सिंह	283 / 3	1.173	0.145
32	बेटीबाई पुत्री दलसिंह वेनवती बाई पुत्री दलसिंह प्रेमबाई पुत्री दलसिंह	282 / 1 / 1 / 2	0.607	0.115
33	गोधन पिता गनेश	282 / 2 / 2	0.797	0.170
34	कस्तूरीबाई बेवा रघुवर हन्नाबाई पुत्री रघुवर बाबूलाल भगवानसिंह शिवकुमार आ. गिरधारी छोटेबाई वि. गिरधारी	278	0.429	0.250
35	भूरीबाई पत्नि शिबूलाल	279 / 2 / 4 / 1	0.202	0.022
36	मुन्नीबाई पत्नि कलीराम जाति चमार	279 / 2 / 4 / 2	0.203	0.022
37	दुर्गाबाई पुत्री जमना प्रसाद	277	0.429	0.124

38	अंतराम पिता गनेश	276	0.425	0.160
39	द्रोपती बाई बेवा पतीराम	269 / 1	0.458	0.064
40	रामपाल पिता राधेलाल	269 / 3	0.459	0.020
41	बजरंग दत्तक आश्रम लोधीपुरा उदयपुरा	245	1.979	0.280
42	चूरामन पिता मिट्टूलाल जाति कुशवाहा	228 / 2	0.607	0.004
43	इन्देश पिता बलीराम जाति काछी	229	0.580	0.080
44	अंजू परिन रविकांत दुबे	230	0.226	0.226
45	इन्देश पिता बलीराम जाति काछी	231	0.117	0.016
46	इन्देश पिता बलीराम जाति काछी	240 / 1	0.080	0.004
47	इन्देश पिता बलीराम जाति लोधी	239	0.084	0.084
48	दंगलसिंह नारायण सिंह आ. आशाराम, गीताबाई पुत्री आशाराम भूरे आ. धर्मदास, हल्के वारेवीर आ. छोटेलाल जाति ढीमर	238	0.802	0.288
49	सिध्द घाट स्थान पिता टस्ट थाला दिघावन	237 / 1	0.243	0.243
50	दंगलसिंह आ. आशाराम भूरा आ. धर्मदास जाति नौरिया	237 / 2	0.243	0.243
51	सिध्द घाट स्थान पिता टस्ट थाला दिघावन	48 / 1	1.109	0.024
52	सिध्द घाट स्थान पिता टस्ट थाला दिघावन	47	0.105	0.105
53	ग्याप्रसाद पिता बालकिशन	46	0.384	0.384
54	सुरेन्द्र थाल पिता ग्याप्रसाद	45	1.449	0.032
55	रामप्रसाद पिता गंगाराम वारेलाल पिता गंगाराम, घिसा पिता गंगाराम दलसिंह पिता गंगाराम ललिया पिता गंगाराम	199 / 1 / 1	0.221	0.130
56	कन्हैयालाल पिता घिसराम कमलेश नौरिया हल्केमेया कन्हैयालाल जाति नौरिया	199 / 1 / 2	0.210	0.155
57	बालकराम नौरिया पिता शंकरलाल नौरिया	199 / 2	0.210	0.210
58	कृष्णपाल नौरिया पिता गोटीराम नौरिया शिवपाल नौरिया पिता गोटीराम नौरिया रामपाल नौरिया पिता गोटीराम नौरिया देवराज नौरिया पिता गोटीराम नौरिया सोमनाथ नौरिया पिता गोटीराम नौरिया मुकेश नौरिया पिता गोटीराम नौरिया	199 / 3	0.210	0.190
कुल योग-			51.269	9.672

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू अर्जन) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संशोधन नहीं करेगा/ करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलिंगमन सृजित नहीं करेगा।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विश्राम शोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2023

अधि.क्र.-5666.- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान दुर्घटना में अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु/अपंगता की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना 2014 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 में अधिसूचित एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 13 जनवरी 2017 द्वारा संशोधित की गई थी. उक्त योजना मध्यप्रदेश राजपत्र जारी होने के दिनांक से एतद्द्वारा समाप्त घोषित की जाती है.

रत्नाकर झा, सचिव.

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2023

क्र.-एफ-3-1-2022-छब्बीस-1.- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा अनुसूची-एक में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करता है. -

अनुसूची-“एक”

- (1) तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

**अनुसूची 'दो'
दिव्यांगजनों के लिए चिन्हकृत पदों की जानकारी
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग**

पद की श्रेणी	पद/संबन्ध का नाम	सामान्य श्रेणी के कुल स्वीकृत पद	सामान्य श्रेणी के कुल अर्जों के कुल सं. पद	रिक्त पद (3-34)	निष्पत्तकृत पदों की कुल संख्या का कुल योग (64)	दिव्यांगजनों हेतु चिन्हकृत पद / भरे पद / रिक्त पदों की जानकारी											रिक्त पदों की पूर्ति कर लेने की अवधि			
						भरे पद/रिक्त पद	भरे पद/रिक्त पद	भरे पद/रिक्त पद	भरे पद/रिक्त पद	भरे पद/रिक्त पद	भरे पद/रिक्त पद	भरे पद/रिक्त पद	भरे पद/रिक्त पद	भरे पद/रिक्त पद	भरे पद/रिक्त पद	भरे पद/रिक्त पद				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
अ. तकनीकी शिक्षा संचालक संस्थान																				
प्रथम श्रेणी	सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग कॉलेज)/राज्य	264	199	65	16	4	0	4	4	4	0	4	4	0	4	16	0	16	31/12/2024	
प्रथम श्रेणी	व्याख्याता (पॉलीटेक्निक कॉलेज)/राज्य	1804	941	863	108	27	0	27	27	27	0	27	27	0	27	108	0	108	31/12/2024	
	योग:-	2068	1140	928	124	31	0	31	31	31	0	31	31	0	31	124	0	124		
ब. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल																				
प्रथम श्रेणी	जॉबिंग/राज्य	29	7	22	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	31/12/2024
प्रथम श्रेणी	व्याख्याता (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)/राज्य	27	2	25	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	31/12/2024
प्रथम श्रेणी	सहायक प्राध्यापक (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)/राज्य	167	56	111	13	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0	0	0	0	13	31/12/2024
द्वितीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-03 (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)/राज्य	38	8	30	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	31/12/2024
द्वितीय श्रेणी	प्रयोगशाळा परिचारक (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)/राज्य	35	0	35	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	31/12/2024
द्वितीय श्रेणी	मैत्र (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)/राज्य	71	25	46	4	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	4	0	4	31/12/2024
प्रथम श्रेणी	सह प्राध्यापक/राज्य	107	24	83	6	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6	31/12/2024
	योग:-	474	122	352	30	2	0	2	0	0	28	0	28	0	0	0	30	0	30	
	कुल योग(अ+ब):-	2542	1262	1280	154	33	0	33	31	0	59	0	59	31	0	31	154	0	154	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2023

क्र.-B-8177-एक-7-3-2022(भाग-एक).- रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक ए-153-एक-7-3-2022 भाग-1 जबलपुर, दिनांक 01 फरवरी 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए शुक्रवार दिनांक 17 नवम्बर 2023 को विधान सभा आम चुनाव 2023 हेतु मध्यप्रदेश राज्य के जिला न्यायपालिका हेतु अवकाश घोषित किया जाता है।

क्र.-B-8192-एक-7-3-2022(भाग-एक).- रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक ए-153-एक-7-3-2022 भाग-1 जबलपुर, दिनांक 01 फरवरी 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिला न्यायपालिका हेतु गुरुवार दिनांक 16 नवम्बर 2023 को अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में शनिवार दिनांक 16 दिसम्बर 2023 (अवकाश दिवस) को कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

Jabalpur, the 23rd November 2023

No.B-8475.- In exercise of powers conferred by Section 5 (1) of the right to information Act, 2005, the Hon'ble Chief Justice is pleased to designate Shri Anil Kumar, Registrar (J-1) as State Public information Officer for the High Court of Madhya Pradesh, Principal Seat Jabalpur in place of Shri Mohit Dewan, the then Registrar (J-1).

By order of Hon'ble Chief Justice

MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar general

जबलपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2023

क्र.-D-4821-दो-2-5-2022.- श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8422-दो-2-26-2010.- श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8414-दो-2-55-2022.- श्री दीपक गुप्ता, ओ.एस.डी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 18 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, ओ.एस.डी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2023

क्र.-D-4721-दो-2-31-2017.- श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र.-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत निम्नानुसार दो-दो वर्ष की ब्लाक अवधियों के लिए तीस-तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2023

क्र.-D-4792-दो-2-39-2022.- श्री ललित किशोर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 4 से 9 दिसम्बर 2023 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ललित किशोर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ललित किशोर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-4794-दो-2-2-2021.- श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-D-4796-दो-2-25-2020.- श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-A-6831-दो-2-27-2022.- श्री एस.एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-A-6833-दो-2-55-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-A-6835-दो-2-63-2018.- श्री आर.के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर.के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-6839-दो-2-64-2014.- श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र.-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8392-दो-2-34-2018.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 25 से 26 अक्टूबर 2023 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-B-8400-दो-2-59-2016.- श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-8192, दिनांक 8 नवम्बर 2023 द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2023 का अवकाश घोषित किये जाने तथा रजिस्ट्री आदेश क्रमांक-बी-8177, दिनांक 8 नवम्बर 2023 द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2023 को विधान आम सभा चुनाव, 2023 हेतु अवकाश घोषित किये जाने से उक्त अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र.-B-8403-दो-2-59-2016.- श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक, चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2023

क्र.-B-8442-दो-2-59-2016.- श्री अरुण कुमार सिंह, (सीनियर) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-8445-दो-2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 21 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2023 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-8449-दो-2-31-2023.- श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर को दिनांक 28 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 एवं 27 नवम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह कावछा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-8454-दो-2-114-2017.- श्री राजीव म. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 7 नवम्बर 2023

क्र.-अवकाश-1715.- श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 14 से 15 अक्टूबर 2023 तथा पश्चात् में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि राजेश कुमार शर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), के पद पर पदस्थ रहते।

क्र.-अवकाश-1717.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक, तथा पश्चात् में दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.